न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00113 (215/2016)

मनीराम पुत्र श्री फूसाराम जाति कुम्हार निवासी 23 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बुधराम पुत्र श्री फूसाराम
2. चावली पुत्रियॉ फूसाराम
3. श्योपार देवी

} जाति कुम्हार निवासीगण चक 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4. कृष्णलाल
5. रामस्वरूप

} पुत्रगण श्री हरीराम जाति छिम्पा निवासी 23 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।
7. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ जरिये मैनेजर।
8. सोमादेवी पत्नी पतराम जाति बश्नोई निवासी 23 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिा हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा।
आदेश दिनांक 1.06.2016, प्र. सं. 68/2014
अनवान मनीराम बनाम बुधराम आदि

उपस्थितिः—

श्री सोहनलाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री संजय चांडक अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1
श्री कुलदीप सिंह रमाणा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4 व
श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 07.03.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम चक 23 एमओडी द्वितीय में 3.795 है0 भूमि मय गैर मुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 बुधराम ने प्रतिवादी संख्या 2 चावली से उसके हिस्से का हक त्याग अपने पक्ष में करवा दिया है जो कतई अविधिक है। कानूनन अकेला व्यक्ति किसी प्रकार का हक त्याग अपने पक्ष में नही करवा सकता है। ऐसा हक त्याग कानूनन अविधिक होने से मिन वादी की हद तक निष्प्रभावी है यदि ऐसा कोई दस्तावेज है तो वह प्रार्थी/अपीलाण्ट के हितों के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया किसी प्रकार का हक त्याग मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में बराबर बराबर विधिक रूप से माना जावेगा। वादी/अपीलाण्ट ने अपना खाता अलग कायम कर करने रकमराज अलग कायम करने एवं प्रश्नगत भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी 0 1 ने जवाब दावा व प्रतिवाद पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई दस्तबरदारी दिनांक 04.03.2014 प्रस्तुत की एवं दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने हरदयालपुरा पंचायत मे लोक अदालत शिविर में वादपत्र साबित नही होने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के शिविर में अविधिक निर्णय पारित किया है। पपत्रावली वास्ते तलबी जैरकार थी इस प्रक्रम पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है जबकि समस्त प्रतिवादीगण तामील होने के बाद तनकीयात कायम कर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय करना चाहिए था। हिन्दू विधिके अनुसार एक सहदायिक अन्य सहदायिक को विशेष तौर पर अपना हिस्सा त्याग नही कर सकता है। यदि ऐसा त्याग एक ससहदायिक के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया जाता है तो उस त्यागपत्र को सम्पूर्ण खाता में समस्त सहदायिकों में बहिस्सा बराबर प्राप्त होगा। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर अपना अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था एवं पत्रावी तलबी की स्टेट पर थी जिसमें अपीलाण्अ का उपस्थित होना आवश्यक नहीं था अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने भी यही हिदायत दे रखी थी कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी तो आपको सूचित कर दिया जावेगा। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के साथ किसी प्रकार का राजीनामा अथवा सहमति नहीं दी थी ना ही न्यायालय में उपस्थित आया था। अपीलाण्ट को कैप में पत्रावली के निस्तारण होने का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है अतः देरी क्षमा कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया प्रश्नगत आराजी में मिन प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 चावली ने अपने उक्त समस्त 2/12 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा अर्थात 0.632 है0 का हकत्याग जरिये दस्तबरदारी उपपंजीयक के समक्ष हकत्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी का प्रश्नगत खाता संख्या 27/23 की कल 3.795 है0 भूमि में 2/6 हिस्सा यानि 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि का हक व हिस्सा है। किन्तू प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.632 है0 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में है जिससे प्रतिवादी सं0 1 के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जावे। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested

7. जहां तक गुणागुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि में वादी संख्या 1 बुधराम ने प्रतिवादी संख्या 2 से उसके हिस्से का हकत्याग जरिये दस्तबरदारी अपने पक्ष में करवाया है। अपीलांट का कथन है कि अकेला व्यक्ति एक सहदायिक के पक्ष में किसी प्रकार का हक त्याग नहीं कर सकता उसके द्वारा छोड़ा गया हक सभी के हक में छोड़ा गया

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हक माना जाऐगा। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने कोई सहमति नहीं दी थी फिर भी कैम्प कोर्ट में प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प 2016 में दिनांक 16.06.2016 की आदेशिका में यह अंकित किया है कि " पक्षकार सूचना के उपरान्त भी उप0 नही हुए अतः प्रकरण का अवलोकन किया गया। वाद वादी साबित नहीं ाने के कारण खारिज किया जाता है।" हमारा मत है कि लोकदालत में केवल राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है। जहां दोनों पक्षों के मध्य विवाद हो वहां समस्त प्रतिवादीगण की तामील होने के बाद तनकीयात कायम कर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय करना चाहिए था। उभयपक्ष को सुना जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया है जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7/3/22

(करतारसिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested